न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी – श्री पी0 आर0 मीना ,आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए/77/2020

उनवान

1. भंवरलाल पुत्र मांगीलाल मीणा, निवासी माण्डल, तहसील माण्डल, जिला भीलवाडा (राज०)
   1/1 श्रीमती चांदी बेवा भंवरलाल मीणा, उम्र वयस्क, निवासी माण्डल, तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा (राज०)
   1/2 श्री नारायण पिता भंवरलाल मीणा, उम्र वयस्क, निवासी माण्डल, तहसील माण्डल, जिला भीलवाडा (राज०)
   1/3 श्रीमती नर्वदा पुत्री भंवरलाल मीणा, उम्र वयस्क, निवासी माण्डल, तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा (राज०)
   1/4 श्रीमती लीला पुत्री भंवरलाल मीणा, उम्र वयस्क, निवासी माण्डल, तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा (राज०)
2. श्री मांगीलाल पिता श्री लालु भील, आयु बालिग, निवासी माण्डल, तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा (राज०)

.....अपीलार्थीगण / प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री शिवलाल पिता श्री धन्ना जाट, उम्र वयस्क, निवासी माण्डल, तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा (मृत्यु हो जाने डिलिट)
2. श्री शंकरलाल पिता श्री धन्ना जाट, उम्र वयस्क, निवासी माण्डल, तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा
3. श्री रामप्रसाद पिता श्री धन्ना जाट, उम्र वयस्क, निवासी माण्डल, तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा
4. श्रीमती मांगी पत्नी श्री धन्ना जाट, उम्र वयस्क, निवासी माण्डल, तहसील माण्डल, जिला भीलवाडा
5. श्रीमती शंकरी पत्नी शिवलाल जाट, उम्र वयस्क, निवासी माण्डल, तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा
6. श्रीमती अनोपी पत्नी शंकरलाल जाट, उम्र वयस्क, निवासी माण्डल, तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार माण्डल, तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा

..... प्रत्यर्थीगण / विपक्षीगण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, माण्डल
के प्रकरण संख्या 194/2013 निर्णय एवं डिकी दिनांक 12.3.2016

अभिभाषक :

1. श्री सूरज सनाढ्य, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री पृथ्वीराज चौधरी, अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण

आदेश

दिनांक 16.2.2026

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी संख्या/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा के न्यायालय में अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम माण्डल के आराजी नम्बर 9195 रकबा 2 बीघा 08 बिस्वा स्थित है। जिसमें खातेदार मु0कंचनदेवी हीरा लाल ब्राह्मण साकिन जोधपुरिया हाल मुकाम माण्डल काहै। उक्त कंचन देवी ने आराजी नम्बर 9195/3 रकबा 9 बिस्वा भूमि दिनांक 22.7.1993 को विकय जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र वादीगण को विकय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया । कय की दिनांक से वादी काबिज है। किन्तु प्रतिवादीगण झगडालू किस्म के जो ताकत के बल परअपनी खरीदसुदा जमीन से जबरन बेदउखल करने पर एवं नाजायज कब्जा करने पर उतारू है और उसमें मवेशी घुसा देते है। इस प्रकार प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि प्रतिवादीगण वादीगण की कय सुदा 9 बिस्वा भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे।

2. दौराने विचारण वाद वादी संख्या 2 की ओर से वादी संख्या 1 के साथ –साथ संयोजित वादी संख्या 2 शब्द प्रतिस्थापित करते हुए संशोधित वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी भंवरलाल ने उक्त अनवान का एक वादपत्र बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा का न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया, व उपरोक्त वाद में निर्णय प्रसारित किया गया, लेकिन डिकी पर्चा मुर्तिब होना शेष था तथा वादी भंवरलाल की मृत्यु हो जाने से भंवरलाल के विधिक वारिसो को दौराने कार्यवाही पक्षकार के रूप में संयोजित करने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर वास्ते तामिल हेतु पत्रावली नियत की गयी, लेकिन तामिल सम्यक् न कराकर अनुचित व अवांछित तामिल करा विधिविरूद्ध तरीके से

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण ने एक तरफा निर्णय प्राप्त कर लिया, उक्त प्रकरण में विवादित आराजी जो कि कीरखेड़ा, पटवार हल्का संतोकपुरा, तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा में आराजी संख्या 9195/3 रकबा 09 बिस्वा स्थित है, इस आराजी के संबंध में वादी भंवरलाल ने एक वादपत्र प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया था. इस वादपत्र में प्रतिवादीगण ने वादपत्र का जवाब देकर प्रतिदावा प्रस्तुत किया। उक्त आराजी संख्या 9195/3 रकबा 09 बिस्वा भूमि, जो कि वादी भंवरलाल की मृत्यु उपरांत उनके विधिक वारिसाने के नाम पर खातेदारी हक से अंकन थी, को संयोजित वादी संख्या 02 ने दिनांक 05–01–2011 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र से कय कर आधिपत्य में ली है, जिसका नामान्तकरण विक्रयपत्र के आधार पर संयोजित वादी संख्या 02 के नाम पर खुल चुका है तथा वर्तमान राजस्व अभिलेख में संयोजित वादी संख्या 02 के नाम पर दर्ज रेकॉर्ड है। संयोजित वादी संख्या 02 एक सद्भाविक केता होकर रेकॉर्ड खातेदार काश्तकार होकर उक्त प्रकरण में संयोजित वादी काश्तकारी आराजियात विवादित है। संयोजित वादी संख्या 02 को उपरोक्त प्रकरण की जानकारी दिनांक 12–03–2016 को लोक अदालत में आने से और वहाँ पर प्रतिवादीगण के द्वारा निर्णय की चर्चा किये जाने से हुई. तत्पश्चात् संयोजित वादी संख्या 02 ने उपरोक्त प्रकरण में बतौर पक्षकार संयोजित किये जाने आने आदेवन किया, जिस पर न्यायालय ने संयोजित वादी संख्या 02 को बतौर पक्षकार वादी के रूप में प्रतिस्थापित किये जाने का आदेश प्रदान किया, तत्पश्चात विधिक प्रावधानो के तहत वादी संख्या 01 के वादपत्र में संशोधन कर संयोजित वादी संख्या 02 की ओर संशोधित वादपत्र निम्न उजरात के साथ पेश है कि :–

3. ग्राम माण्डल, तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा में आराजी संख्या 9195 नो हजार एक सौ पिचानवे रकबा 02 दो बीघा 08 आठ बिस्वा स्थित है. (जो वर्तमान में ग्राम कीरखेड़ा में है) जिसके तत्कालीन खातेदार मु. कंचनदेवी जोजे हीरालाल ब्राह्मण साकिन जोधपुरिया हाल माण्डल ने उक्त आराजी में से 09 नो बिस्वा भूमि दिनांक 22 बाईस जुलाई 93 तरानवे को जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के वादी संख्या 01 को विक्रय करके आधिपत्य सुपुर्द कर दिया, जिसके आराजी संख्या 9195/3 नो हजार एक सौ पिचानवेध्तीन रकबा 09 नो बिस्वा है, उपरोक्त आराजी संख्या 9195/3 रकबा 09 नो बिस्वा को संयोजित वादी संख्या 02 ने दिनांक 05–01–2011 को जरिये पंजीकृत विक्रयपत्र से वादी संख्या 01 से कय की है, कय दिनांक से ही संयोजित

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

वादी संख्या 02 उक्त आराजियात पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है, जिसे इस वाद में वादग्रस्त भूमि से संबोधित किया गया है, जिसका पडौस निम्न है –
पूर्व– भंवरलाल मीणा की स्वयं की जमीन
पश्चिम मांगीलाल कुम्हार की कृषि भूमि जो मु कंचन देवी से खरीद की।
उत्तर – माण्डल से भीलवाडा जाने का आम रोड
दक्षिण – भंवरलाल मीणा वगैरह की कृषि भूमि

4. वाद की धारा 01 में वर्णित आराजी संख्या 9195/3 रकबा 09 नो बिस्वा जो उपरोक्त पडौस मध्य स्थित है, पर बवक्त खरीद से वाद प्रस्तुततीकरण तक वादी संख्या 01 व पंजीकृत विकय दिनांक 05–01–2011 के पश्चात् से ही संयोजित वादी संख्या 02 का ही कब्जा चला आ रहा है और उक्त भूमि नामान्तकरण संख्या 1849 एक हजार आठ सौ उनपचास दिनांक 29 जुलाई 93 तरानवे के द्वारा वादी संख्या 01 के नाम इंतकाल खुलकर खाते दर्ज हुई तत्श्चात् वादी संख्या 01 द्वारा संयोजित वादी संख्या 02 को विक्रय किये जाने से वाद विकय नामान्तकरण से संयोजित वादी संख्या 02 के नाम पर वर्तमान में खातेदारी हक से दर्ज रेकॉर्ड चली आ रही है। और संयोजित वादी संख्या 02 ही उक्त भूमि का उपयोग उपभोग कर रहा है, प्रतिवादीगण का इस भूमि पर कोई स्वत्व, हित एवं अधिकार नही है।

5. प्रतिवादी संख्या 02 से 05 एक ही परिवार के लडाकू एवं झगडालू किस्म के व्यक्ति है और बिना वजह ताकत के बल पर पूर्व में वादी संख्या 01 को अपनी खरीद सुदा जमीन से जबरन बेदखल करके नाजायज कब्जा करना चाहते थे व वर्तमान में लगातार संयोजित वादी संख्या 02 को बेदखल करने पर आमादा हो रहे है और जानबुझकर उक्त भूमि में अपनी मवेशिये घुसेड देते है, वादी संख्या 01 जब उन्हे ऐसा करने से रोकता है, तब प्रतिवादीगण झगडा फसाद करने को आमादा हो जाते है और भूमि से बेदखल करने की धमकी देते है. इसी तरह का कृत्य वर्तमान में भी प्रतिवादीगण को संयोजित वादी संख्या 02 के प्रति चालु है, इसी वजह से वादी संख्या 01 ने उक्त प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेशाज्ञा का वाद पत्र पेश किया था, जो संयोजित वादी संख्या 02 द्वारा भी स्वीकार है, इसलिये प्रतिवादी संख्या 02 से 05 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबंद फरमाया जावे कि वे संयोजित वादी संख्या 02 की खातेदारी एवं आधिपत्य की आराजी संख्या 9195/3 रकबा 09 नो बिस्वा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

जिसका पडौस वाद की धारा 01 एक में वर्णित है, में कोई दखन्दाजी नही करे, उसमें जबरन मवेशिये नहीं घुसेडे, संयोजित वादी संख्या 02 को जबरन ताकत का प्रयोग कर जमीन से बेदखल नही करे एवं वादग्रस्त भूमि का शांति पूर्वक उपयोग एवं उपयोग करने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करें।

6. प्रतिवादी संख्या 06 भूमि धारक होने से औपचारिक पक्षकार बनाया गया है. उसके विरूद्ध कोई इमदाद नही चाही गयी है।

7. प्रतिवादी संख्या 02 से 05 के द्वारा नाजायज रूप से वादग्रस्त भूमि में दखलन्दराजी करने एवं जबरदस्ती बेदखल करने की वादी संख्या 01 को धमकी देने की तारीख 10 अक्टूबर 93 से बिनाय वाद उत्पन्न होकर जारी है, तत्पश्चात् संयोजित वादी संख्या 02 को निरन्तर धमकी दी जाने के कारण सतत रूप से जारी है।

8. अतः निवेदन है कि संयोजित वादी संख्या 02 का निपवेदन है कि कि संयोजित वादी संख्या 02 के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न प्रकार डिकी प्रदान की जावे।

(1) संयोजित वादी संख्या 02 के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या 02 से 05 के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की पारित की जावे कि संयोजित वादी संख्या 02 की खातेदारी एवं आधिपत्य की आराजी संख्या 9195/3 नो हजार एक सो पिधानवेध्तीन रकबा 11 ग्यारह बिस्वा से जिसका पडौस वाद की धारा 01 में वर्णित है और जो ग्राम माण्डल, तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा में स्थित है, में प्रतिवादी संख्या 02 से 05 कोई दखलदांजी नहीं करे, उक्त भूमि में मवेशिये नहीं घुसेडे एवं संयोजित वादी संख्या 02 को जबरन ताकत का प्रयोग कर बेदखल नही करे, न ऐसा वह अपने नौकरो, रिश्तेदारो व ही करावे, यदि दौराने वाद संयोजित वादी संख्या 02 को उक्त वादीगण वादग्रस्त भूमि से बेदखल कर देवे तो पुनः कब्जा संयोजित वादी संख्या 02 को दिलाया जावे।

9. अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय व डिकी द्वारा वादी का वाद पत्र 12.3.2016 को स्वीकार किया गया । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

10. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

11. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को विचारण में जो

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

वैधानिक कार्यवाही होती है, उसमें नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों की पालना नहीं की गई व न्याय नियम के सिद्धान्तों की अवहलेनाकी गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर मौजूद वादीगण के साक्ष्य, वाद पत्र, प्रतिवाद पत्र के जवाब व दस्तावेजी साक्ष्य का साक्ष्यात्मक विवेचन नहीं कर त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

12. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि सर्वप्रथम तो अधीनस्थ न्यायालय के दिनांक 12.3.2020 के निर्णय व पत्रावली का अवलोकन किया जावे तो घोर अनियमितता स्प्ष्ट प्रकट होती है। अधीनस्थ न्यायालय को पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर से प्रतिप्रेषित होकर दिनांक 4.9.2013 को प्राप्त हुई, जिस पर दिनांक 29.5.2014 को वकील वादी उपस्थित थे और प्रतिवादी संख्या 2, 3, 4 व 5 की अझोर से अधिवक्ता ने उपस्थिति दी। तत्पश्चात पत्रावली दिनांक 17.1.22017 को नियत थी। जिसमें पत्रावली पर अचानक से ही वादी की उपस्थिति या अनुपस्थिति बाबत कोई तथ्य अंकित नहीं किया गया और जो कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना था वह भी प्रतिवादी के जिम्मे कर दिया , जबकि पत्रावली पर ऐसी कोई मृत्यु की सूचना या वादी की एक तरफा कार्यवाही का आदेश नहीं है , फिर भ्झी उपरोक्त आदेशिकाओं को अधीनस्थ न्यायालय ने मनमकसूद तरीके से अंकन कर वादीगण के सम्मनों की असम्यक तामील करवा, तुरत फुरत में दिनांक 29.1.2016 को वादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया, जिस पर वादीगण को जब तक ध्यान पडा तब तक निर्णय लिखाया जा चुका था, लेकिन डिकी होना शेष था, इस कारण वादीगण ने प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय ने कार्यवाही स्थगित कर दी थी। वादीगण के उपरोक्त प्रार्थनापत्र के साथ ही अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण के द्वारा विक्रय की गई जायदाद के केता की ओर से आदेश 10 नियम 01 का प्रार्थनापत्र भी प्रस्तुत किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रार्थनापत्र के समय मुल वादपत्र को तलब कर दिनांक 27–10–2016 को बहस सुनी और मौखिक आदेश वादी के प्रार्थनापत्र को स्वीकार करने का सुनाया था, तत्पश्चात् वादपत्र पुनः नम्बर पर आने से दिनांक 08–11–2016 को अपीलार्थी संख्या 02 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र आदेश 01 नियम 10 को स्वीकार कर अपीलार्थी संख्या 02 को वादपत्र में वादीगण की हैसियत से पक्षकार बनाकर पत्रावली वास्ते संशोधित टाईटल हेतु नियत कर दी गई, जबकि उपरोक्त आदेश के पश्चात् सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 01 नियम 10 उप नियम 4 के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

तहत संशोधित अनवान व संशोधित वादपत्र में नियत की जानी चाहिये थी, इस बाबत् न्यायालय को जानकारी हुई तो न्यायालय ने दिनांक 28–08–2018 को उपरोक्त सदभाविक त्रुटि को सुधारकर संशोधित वादपत्र पेश करने में नियत कर दिया, लेकिन तत्पश्चात् अचानक से ही न्यायालय द्वारा आदेश 09 नियम 13 के प्रार्थनापत्र की बहस में पुनः पत्रावली लगा दी गई, जिस पर वादीगण व संयोजित वादीगण के विरोध किया था। इसके पश्चात् न्यायालय ने दिनांक 20–02–2020 की आदेशिका में संयोजित वादीगण को संशोधित वादपत्र व प्रतिवादपत्र का जवाब प्रस्तुत करने का अंतिम अवसर प्रदान किया गया था, जिसको न्यायालय नें पुनः दिनांक 28–02–2020 व दिनांक 05–03–2020 को मनमकसूद तरीके से अपने हिसाब से सुधार दिया और संयोजित वादीगण द्वारा प्रस्तुत संयोजित वादपत्र प्रतिवादपत्र के जवाब की औचित्यता को नकार दिया। अधीनस्थ न्यायालय के उपरोक्त कृत्य को देखे तो अधीनस्थ न्यायालय स्वयं स्पष्ट नहीं कर पा रहा है कि किसी आदेशिका में त्रुटि है और किस आदेशिक को सुधारना है। प्रत्यैक तारीख पेशी की आदेशिकाओं में अन्तर आ रहा है, जिससे स्वयं न्यायालय ही स्पष्ट नहीं कर पा रहा है कि उसे किस प्रार्थनापत्र की सुनवाई करनी व विचारण के आगे की प्रक्रिया क्या है. एक आदेशिका में न्यायालय संयोजित वादी को संशोधित वादपत्र प्रस्तुत करने बाबत् आदेशिका में त्रुटि सुधार करता है और दूसरी आदेशिका में संयोजित वादी को संशोधित वादपत्र पेश कर करने का अंतिम अवसर देता है। वही तीसरी आदेशिका में पूर्व की आदेशिका का कोई औचित्य नहीं रहता है, यह अंकन करता है। आदेशिका दिनांक 08–11–2016 न्यायालय का एक आदेश था, जिसको न्यायालय ने केवल मात्र त्रुटि सुधार के आधार पर संयोजित वादीद अपीलार्थी संख्या 02 को बिना सुने सुधार दिया जो नैसर्गीक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है व विधि व न्याय नियमो के परे है। इस कारण उपरोक्त सारे तथ्यों के प्रकाश में न्यायालय का यह कृत्य पूर्वाग्रहों से ग्रसित प्रकट हो रहा है. इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी अनियमितताओ के कारण निरस्तनीय है।

13. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि दिनांक 12–03–2020 के निर्णय पर यदि देखे तो अधिनस्थ न्यायालय ने बिना कोई विवेचन के मनमकसूद तरीके से निर्णय पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र का हवाला तो दिया, लेकिन उसके तथ्यो को उचित विवेचन नही किया। वादीगण ने अपने

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

प्रार्थनापत्र में यह स्पष्ट अंकित किया था कि उसको जारी किये गये सम्मन बनावटी हस्ताक्षर बनाकर तामील करवा दी. तो यहाँ पर अधीनस्थ न्यायालय को सर्वप्रथम उन सम्मन का अवलोकन करना चाहिये था, जिनको आधार बनाकर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 29–01–2016 को वादी/अपीलार्थी संख्या 01 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही का आदेश दिया था. इन सम्मनो की पुश्त पर यदि देखे तो एक ही व्यक्ति को सभी तामीले दी गई है तथा उपरोक्त तामील पर इस प्रकार का कही पर भी अंकन नहीं है, सभी व्यक्ति एक ही परिवार में शामील सरीक रहते है। इसके अलावा यहाँ यह कथन करना भी उचित है कि वादीगण के अधिवक्ता न्यायालय में दिनांक 15–12–2015 तक उपस्थित थे, तो फिर अचानक से प्रतिवादी को वादीगण सम्मन जारी करने का क्या औचित रहा, क्योंकि पत्रावली पर ऐसा कोई अंकन नहीं है कि वादी की एक तरफा कार्यवाही हुई हो या फिर अधिवक्ता ने इस सम्बन्ध में कोई भी कार्यवाही नही चाहने बाबत् अंकन किया हो। फिर भी प्रतिवादी ने मिली भगत कर वादी के दावे को असम्यक तामील करवा खारिज कर दिया जो निहायत नैसर्गीक न्याय के सिद्वान्तो के विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 12–03–2020 में यह आदेश करते हुये कथन किया कि वादी ने अपने प्रार्थनापत्र के साथ दफा 05 परीसीमा अधिनियम का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं किया है, जिस सम्बन्ध में उत्तर यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली का समुचित अवलोकन नहीं किया है। पत्रावली पर निर्णिय दिनांक 12–03–2003 को प्रसारित किया गया था और वादी ने उपरोक्त निर्णय के सम्बन्ध में अपना आवेदनपत्र अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 15–03–2016 को प्रस्तुत कर दिया। परिसीमा विधियो का अवलोकन किया जावे तो अलबता तो उपरोक्त प्रार्थनापत्र जानकारी की दिनांक से निहित समयावधि में प्रस्तुत किया गया है, फिर भी यहाँ पर तो केवल मात्र तीन दिन बाद यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर दिया गया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने इसे परिसीमा अवधि से बाहर मानकर वादी के विरूद्ध आदेश पारित कर दिया तो कतई न्यायोचित नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में कही पर भी उल्लेख नहीं किया है कि मात्र तीन दिन की देरी किस प्रकार से परिसीमा विधि से बाधित है, इसके अलावा यहाँ यह तथ्य बताना भी उचित है कि वादी को प्रतिवादी के उपरोक्त कृत्य की जानकारी ही दिनांक 12–03–2016 को हुई तो फिर ऐसी स्थिति में परिसीमा विधि का यह स्पष्ट प्रावधान है कि ऐसे मामले में जानकारी दिनांक से ही मियाद प्रारम्भ होती है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

पारित निर्णय विधि का नैसर्गीक न्याय के सिद्वान्त के विरूद्ध है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिये, यह न्याय नियम का सिद्वान्त है, जिसकी पालना अधीनस्थ न्यायालय ने नहीं की है, केवल मात्र तकनिकी कमिया निकालकर निर्णय पारित किया है।

14. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्त का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली का सम्पूर्ण अवलोकन नहीं कर अपीलार्थी संख्या 02 को जो वादपत्र में वादी के रूप में संयोजित हो चूका था, के विरूद्ध भी मनमकसुद तरीके से निर्णय पारित कर दिया और अपीलार्थी संख्या 02 के मामले को भी खारिज कर दिया, जो न्याय नियम के सिद्धान्तो के विपरित होने से निरस्तनिय योग्य है।

15. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 12–03–2016 को देखे तो प्रथम तो यह निर्णय वादीगण की अनुपस्थिति में पारित किया गया था, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णयजविधि का स्पष्ट उल्लघन किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली पर वादी का वादपत्र, प्रतिवादी का प्रतिवादपत्र, प्रतिवादी के प्रतिवादपत्र का जवाब व वादी के द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में करवाये गये गवाह भंवरलाल व हजारी माली के बयान व दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श 01 से लगाकर 07 तक दस्तावेज मौजुद थे, तत्पश्चात् पत्रावली प्रतिवादी की साक्ष्य में नियत की। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय ने स्वयं ने उपरोक्त प्रकरण में चार तनकीयो का निर्धारण भी किया था, इस प्रकार से सारे तथ्य साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद होते हुये भी अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में किसी भी चीज का हवाला नही दिया व न ही वादपत्र व प्रतिवादपत्र पर आधारित बनाई गई तनकीयों के हिसाब से ही तनकीवार ही निर्णय किया है, जबकि किसी भी न्यायालय का यह विधिक कर्तव्य है कि पत्रावली पर मौजुद साक्ष्य, वादपत्र, प्रतिवादपत्र व दस्तावेजी साक्ष्य व उनके जवाब का अवलोकन कर तनकीवार निर्णय किया जाना चाहिये था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने घोर अनियमितता कर निर्णय सिद्धान्तो का उल्लघन कर निर्णय पारित कर दिया। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में कब्जे के आधार पर प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया, जबकि सही तथ्य है कि बंशीलाल पुत्र माधुलाल ने आराजी संख्या 3471/1 दिनांक 25.03.75 को या अन्य किसी दिन धन्ना जाट को विकय नही की न कब्जा दिया, न धन्ना का कभी काबिज हुआ। दिनांक 25–03–75 को या अन्य किसी दिन वंशीलाल ने

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

धन्ना के हक में लिखा पढी नहीं की। तथाकथित लिखापढी बिकावनामा की परिभाषा में नहीं आता है। जो पुरे स्टाम्प पर नही है तथा अनरजिस्टर्ड है, जो शहादत में ग्राह्य नहीं है। इस दस्तावेज से प्रतिवादीगण को कोई अधिकार प्राप्त नही होते है व न हुये है।

16. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि बंशीलाल के स्वर्गवास के बाद दिनांक 18 नवम्बर 80 को विवादित आराजी का नामान्तकरण कंचन देवी के नाम स्वीकार हुआ है। यदि प्रतिवादीगण के बिकाव व कब्जे में सन् 75 से होती तो नामान्तकरण कंचन देवी के हक में स्वीकार नहीं हो सकता था। साथ ही वादी संख्या 01 से संयोजित वादी संख्या 02 द्वारा कय करने के समय भी संयोजित वादी संख्या 02 को वादी संख्या 01 ने कब्जा सिपुर्द किया, जिसकी तस्दीक भी नामान्तकरण की कार्यवाही में की गई, इसलिये प्रतिवादीगण का प्रतिदावे में कब्जे के सम्बन्ध का तथ्य निराधार है। सून् ४० के बाद या इससे पूर्व प्रतिवादीगण का कब्जा नहीं रहा है। प्रतिवादीगण का उजर भी बेरून मियाद है। विवादित आराजी में प्रतिवादीगण का कोई हक अधिकर व कब्जा नहीं रहा है व न ही है।

17. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्रतिवादीगण ने प्रतिवादपत्र अपने विक्रयपत्र के आधार पर प्रस्तुत किया गया है, उपरोक्त विकयपत्र अपजीकृत, अपर्याप्त स्टाम्प पर निष्पादित किया गया है, इस हेतु अगर प्रतिवादीगण को चाराजोही करनी है यो सक्षम सिविल न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिये, साथ ही प्रतिकूल कब्जे के आधार लेने के लिये उसको इस सिद्वान्त के समस्त आधारों की अनुपालना बतानी चाहिये, यहाँ प्रतिवादीगण ने दो आधारो को अलग अलग अपने हिसाब से अनुतोष के रूप में चाह लिया है या तो प्रतिवादीगण विक्रयपत्र के आधार पर ही प्रतिवाद प्रस्तुत करे या प्रतिकूल कब्जे के आधार पर ही प्रस्तुत करे। विधि में यह विरोधाभाषिता लागू किये जाने योग्य नहीं है, क्योंकि दोनो आधार एक दूसरे के विरोधाभाषी है। इस कारण प्रतिवादीगण के प्रतिवादपत्र को इसी स्तर पर खारिज फरमाया जाना न्यायोचित है।

18. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपील की निर्णय दिनांक 12–03–2020 व प्रतिलिपि प्राप्त करने की दिनांक के पश्चात् कोविड–19 के कारण सम्पूर्ण लॉक डाउन होने से न्यायालय कार्य चालु होते ही यह अपील विहित सम्यावधि में प्रस्तुत है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

19. अतः निवेदन है कि अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12–03–2016 व दिनांक 12–03–2020 को निरस्त किया जाकर अपीलार्थीगण का वादपत्र स्वीकार कर प्रतिवादी/ प्रत्यर्थीगण के प्रतिवादपत्र को खारिज किया जावे।

20. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत रिसीवरी प्रार्थना पत्र को नोट प्रेस किया और कथन किया कि प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही नहीं चाहते है व मूल बहस में बहस करना चाहते है। प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अपीलाण्ट द्वारा कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस रूपये के स्टाम्प व अनरजिस्टर्ड के आधार पर खातेदारी घोषणा का वाद निर्णित कर दिया । पत्रावली साक्ष्य वादी में चल रही थी।

21. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्त का यह भी निवेदन है कि पत्रावली पुनः राजस्व मण्डल से दिनांक 4.9.2013 को प्राप्त होकर दर्ज हुई। दिनांक 29.5.2014 को वादी व प्रतिवादी उपस्थित हुए है। उसके बाद दिनांक 15.12.2015 तक वादी व प्रतिवादी उपस्थित रही। दिनांक 17.12.2015 से वादी का उपस्थित/अनुपस्थित का तथ्य अंकित किया गया । दिनांक 19. 1.2016 को वादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिये गये। प्रतिवादी के काउण्टर क्लेम पर साक्ष्य पेश करने के लिए निर्देशित कर दिया गया । दिनांक 12.3.2016 को आदेा पारित कर दिया। प्रकरण में दिनांक 17.12.2015 से उपस्थिति दर्ज करना बंद कर दिया व बिना प्रकिया अपनाये आदेश पारित किया जिसकी मुझे जानकारी नहीं थी। दिनांक 15.3.2016 को वादीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम (9) सी पी सी, अन्तर्गत धारा 94 सपठित धारा 151 व एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम (10) सी पी सी प्रस्तुत किया गया । न्यायालय द्वारा उस दिन पािरित निर्णय को स्थगित कर दिया और पत्रावली नोटिस तामील के आदेश में रख दी गई। दिनांक 27.10.2016 को प्रार्थना पत्रों पर बहस सुनकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम (10) सी पी सी स्वीकार किया जा कर संशोधित वाद का आदेश दिया गया । दिनांक 28.8.2018 को संशोधित वाद पत्र पेश किये जाने के निर्देश दिये गये। दिनांक 20.2.2020 को संशोधित वाद पत्र के प्रति जवाब में पत्रावली नियत थी। दिनांक 28.2.2020 को आदेशिका में यह अंकन किया गया कि संशोधित वाद पत्र पेश किया जा चुका है और पत्रावली दिनिांक 13.2.2020 के आदेश की पालना में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम (7) सी पी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

सी , प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम (13) सी पी सी की बहस में रख दी गई। दिनांक 5.3.2020 को संशोधित वाद पत्र को औचित्य नहीं बताकर खारिज कर दिया गया । दिनांक 12. 3.2020 को प्रार्थनपा पत्र को पुनः सुनकर निर्णय पारित कर दिया गया । प्रार्थना पत्रों को खारिज कर दिया । पूर्व निर्णय को बहाल करते हुए डिकी बना दी गई। ओदशिका दिनांक 19. 5.2014 से दिनांक 12.3.2020 तक भी कानून के विपरीत मनमर्जी से किया गया है। जो वाद के निर्धारण की प्रकिया नहीं हो सकती है।

22. अपीलाण्ट ने कथन किया कि मेरा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम (3) सी पी सी , प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9नियम (7) एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम (13) को खारिज किया। इनमें प्रोपर तामील नहीं थी। सभी तामील एक ने ही ली। न्यायालय ने तामील मान ली । समयावधि निर्णय के 3 दिउन बाद पेश कर दिया तो धारा 5 पेश करने की जरूरत नही थी। प्रकरण में वादी का दावा था। प्रतिवादी काउण्टर क्लेम के साथ आया था। जवाब आ गया था । तनकी बन गई थी। साक्ष्य में था प्रकरण लेकिन निर्णय तनकीवार नहीं किया गया है। दस्तावेज के आधार पर निर्धारित किया है वह दस्तावेज अपूर्ण था जो अनस्टाम्प व अपंजीकृत था । जिसके आधार पर घोषणा का दावा नहीं निर्णय किया जा सकता । घोषण के दावें में दस्तावेज व एडवर्स पजेशन के आधार पर आये जो दोनों विरोधाभासी है। बंशी लाल आचार्य मूल खातेदार था और बंशी लाल द्वारा अपने खातेदारों का उपयोग कर 18 नवम्बर 1980 को विरासत द्वारा कंचन देवी के नाम दर्ज हुआ व कंचन देवी ने अपीलाण्ट को 11 बिस्वा का बेचान किया। जिसकी खातेदारी दर्ज होकर काबिज है। सन् 1980 में कचंन देवी के नाम विरासत हुई तथाकथित स्टाम्प पेपर बेचान के बाद विरासत कैसे हो सकती है। प्रकरण में विधिक प्रकिया का पालन नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जावे।

23. प्रत्यर्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने 5.2.2026 को अपनी बहस के दौरान निवेदन किया कि खातेदार बंशीलाल आत्मज माधु लाल आचार्य द्वारा आराजी नम्बर 91,95 का खातेदार था । उसके द्वारा दिनांक 19.3.1975 को बंशी लाल द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के पिता धन्ना को बेचान कर दिया । लेकिन नामान्तरकरण नहीं खुला और जमीन बंशी लाल की मृत्यु क बाद पुत्री कंचन देवी के दर्ज हो गई। कंचन देवी द्वारा बाद में भूमि अपीलाण्ट पक्षकारों को बेच दी । बाद मे खरीददार द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

अन्तर्गत्त हमारे विरूद्ध पेश कर दिया गया । उसके जवाब पेश कर काउण्टर क्लकेम लाया गया कि जमीन के पूर्व श्से हम खरीददार हैं कि बंशीलाल द्वारा अनस्टाम्प व एडवर्स पजेशन के आधारपर बेचान कर दिया । धन्ना जाट (प्रतिवादी) द्वारा अपीलाण्ट के विरूद्ध एफ आई आर दर्ज करवाई जिसमें बाद अनुसंधान अपीलाण्ट को मुलजिम मानते हुए चार्जशीट पेश की गई। जिसकी एफ आई आर की प्रति प्रदर्श 3, चार्ज शीट प्रदर्श 4, निर्णय की प्रति प्रदर्श 5 है । जिसमें अपीलाण्ट को दोष्ज्ञी माना था। उसके उपरान्त मॅवर लाल मीणा ने धन्ना जाट के विरूद्ध अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एक्ट का मुकदमा दर्ज करवाया था। जिसका निर्णय प्रदर्श 6 है। जिसमें हमें दोषमुक्त घोषित किया व कोर्ट ने कब्जा प्रतिवादी का माना । इस प्रकार प्रदर्श 3 से प्रदर्श 6 द्वारा कब्जा रेस्पोडेण्ट का है। हमारा कोस सूट था और वादी द्वारा नहीं लगाने पर प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम (3) सी पी सी लगाया गया । जो स्वीकार किया गया । दिनांक 29.1.2016 को वादी के नहीं आने पर अदम हाजरी मे खारिज कर दिया व कोस सूट एकपक्षीय कर दिया गया । एकपक्षीय कार्यवाही होने पर प्रतिवादी काउण्टर क्लेम में बयान करवाये गये। दिनांक 12.3.2016 को निर्णय पारित कर दिया गया । वादी द्वारा काई साक्ष्य पेश नहीं करने तनकीवार निर्णय करने की आवश्यकता नहीं थी। आदेश पारित होने की जानकारी दिनांक 15.3.2016 को हो गई थी। वादी चाहता तो उसकी अपील कर सकता था जो नहीं की गई। निर्णय दिनांक से अपील पेश करने की अवधि चार साल देरी से पेश की गई है। जो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम (9) सी पी सी , प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम (7) सी पी सी एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम (17) सी पी सी, में भी देरी से पशे किये गये है। जिसका धारा 5 का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम (13) सी पी सी की अपील पेश नहीं की गई है। स्टाम्प पेपर व कब्जा विरोधाभासी नहीं है। खरीद के कारण ही कब्जा प्राप्त हुआ था। स्टाम्प पेपर को आज दिनांक तक चेलेन्ज व खारिज नहीं किया गया है व खारिज नहीं होने के कारण मेरा स्टाम्प पेपर सही है। मेरी पुश्तैनी जमीन की जुडवा जमीन है। अधीनस्थ न्यायालय में वादी की जो कमी रह गई उसकी पूर्ति नहीं हो सकती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद विचारण विस्तृत विश्लेषण करते हुए साक्ष्य के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो विधिसम्मत है। अत: अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावे।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

24. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एंव पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अध्ययन अवलोकन किया गया । बहस का मनन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन, अध्ययन व मिलान किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड अनुसार प्रतिवादी को काउण्टर क्लेम में घोषणा का मांगने पर खातेदार घोषित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के रेकार्ड अनुसार काउण्टर क्लेम में घोषणा का आधार 10/–रूपये के स्टाम्प पेपर की लिखापढी के आधार पर किया गया है। उस स्टाम्प पेपर पर यह कथन करते हुए कि प्रतिवादियों के पूर्वज धन्ना आत्मज मोडा जाट द्वारा भूमि बंशी लाल से खरीदी गई है। खरीद का आधार सिर्फ अनरजिस्टर्ड दस्तावेज है। कानून व विधि के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकार की लिखापढी होती है तो उसका प्रमाणिकरण सक्षम न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है। लिखापढी के आधार पर खातेदारी अधिकार उत्पन्न नहीं होते है। प्रकरण में राजकीय स्टाम्प ड्यूटी व शुल्क की भी हानि हुई है। विकय पत्र सपादित करने की विधिक प्रकिया बनी हुई है। जिसकी पालना नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा काउण्टर क्लेम घोषणा कोबिना किसी विधिक अधिकार के कानूनी प्रकिया से बाहर जाकर खातेदारी घोषणा की गई है। जो विधिसंगत नहीं है। इस प्रकार पारित निर्णय का समर्थन नहीं किया जा सकता है।

आदेश

अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.3.2016, 12.3.2020 व संशोधित डिकी दिनांक 4.6.2020 को अपास्त किया जाता है। उपरोक्तानुसार डिकी पर्चा मूर्तिब किया जावे।

25. आदेश खुले न्यायालय में लिखाया जाकर आज दिनांक 16.2.2026 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(पी0आर0मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी – श्री पी0 आर0 मीना ,आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए/77/2020

उनवान

1. भंवरलाल पुत्र मांगीलाल मीणा, निवासी माण्डल, तहसील माण्डल, जिला भीलवाडा (राज०)
1/1 श्रीमती चांदी बेवा भंवरलाल मीणा, उम्र वयस्क, निवासी माण्डल, तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा (राज०)
1/2 श्री नारायण पिता भंवरलाल मीणा, उम्र वयस्क, निवासी माण्डल, तहसील माण्डल, जिला भीलवाडा (राज०)
1/3 श्रीमती नर्वदा पुत्री भंवरलाल मीणा, उम्र वयस्क, निवासी माण्डल, तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा (राज०)
1/4 श्रीमती लीला पुत्री भंवरलाल मीणा, उम्र वयस्क, निवासी माण्डल, तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा (राज०)
2. श्री मांगीलाल पिता श्री लालु भील, आयु बालिग, निवासी माण्डल, तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा (राज०)

.....अपीलार्थीगण / प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री शिवलाल पिता श्री धन्ना जाट, उम्र वयस्क, निवासी माण्डल, तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा (मृत्यु हो जाने डिलिट)
2. श्री शंकरलाल पिता श्री धन्ना जाट, उम्र वयस्क, निवासी माण्डल, तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा
3. श्री रामप्रसाद पिता श्री धन्ना जाट, उम्र वयस्क, निवासी माण्डल, तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा
4. श्रीमती मांगी पत्नी श्री धन्ना जाट, उम्र वयस्क, निवासी माण्डल, तहसील माण्डल, जिला भीलवाडा
5. श्रीमती शंकरी पत्नी शिवलाल जाट, उम्र वयस्क, निवासी माण्डल, तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा
6. श्रीमती अनोपी पत्नी शंकरलाल जाट, उम्र वयस्क, निवासी माण्डल, तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार माण्डल, तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

..... प्रत्यर्थीगण / विपक्षीगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, माण्डल
के प्रकरण संख्या 194/2013 निर्णय एवं डिकी दिनांक 12.3.2016

अभिभाषक :

1. श्री सूरज सनाढ्य, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री पृथ्वीराज चौधरी, अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण

अपील में डिकी

(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आरटीए/77/2020 मे उपखण्ड अधिकारी, माण्डल के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डि्की जारी की जाती हैं:—

यह अपील तारीख 16.2.2026 को अपीलाण्ट की ओर से श्री सूरज सनाढ्य वकील एवं प्रत्यर्थी की ओर से अधिवक्ता श्री पृथ्वीराज चौधरी की उपस्थिति मे दिनांक 16.2.2026 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :—

अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.3.2016, 12.3.2020 व संशोधित डिकी दिनांक 4.6.2020 को अपास्त किया जाता है।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 16.2.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डि्की जारी की जाती है।

(पी0आर0मीना)
भू.प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट
1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट
1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस